

यायालय-नीलाम पत्र पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, चन्दनकियारी।

—:: आदेश ::—

नी0प0मु0सं0-381 / 97-98

शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,

चन्दनकियारी शाखा, बोकारो

बनाम्

श्रीमती अंबिका देवी, पति-मनोहर रजवार,

ग्राम-बाबुजोर, पो0-गलगलटांड,

चन्दनकियारी, बोकारो।

17.01.2025 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, चन्दनकियारी शाखा, बोकारो के द्वारा कुल राशि-4978.00 रु0 देनदार श्रीमती अंबिका देवी, पति-मनोहर रजवार, ग्राम-बाबुजोर, पो0-गलगलटांड, चन्दनकियारी, बोकारो से वसूली करने हेतु नीलाम पत्र वाद दायर करने हेतु अधियाचना की गई थी। तदुपरांत उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली हेतु न्यायालय के द्वारा देनदार के विरुद्ध नोटिश निर्गत किया गया। नोटिश तामिला प्रतिवेदन कार्यालय को प्राप्त हैं। इस वाद कि सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा दिनांक-12.04.2022, 09.12.2022, 14.03.2023, एवं दिनांक-06.05.2023 को तिथि निर्धारित कि गई थी। परन्तु देनदार एवं अधियाची पदाधिकारी दोनों ही उक्त तिथियों में न्यायालय में अनुपस्थित थे। इसके बाद भी कई बार न्यायालय के द्वारा तिथि निर्धारित कि गई थी परन्तु एक बार भी देनदार एवं अधियाची पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए इससे प्रतित होता है कि अधियाची पदाधिकारी के द्वारा उक्त वाद में कोई रुची नहीं ली जा रही है, इस कारण उक्त वाद पर अधियाचित राशि वसूली कि दिशा में कोई अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

अतः उक्त के आलोक में अधियाची पदाधिकारी/प्रथम पक्ष के द्वारा अधियाचित राशि वसूली की दिशा में अभिरुचि नहीं लेने के कारण बिहार एवं उड़ीसा लोक मॉग वसूली अधिनियम 1914 की धारा-53(III) के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। संबंधित को सूचित करे।

लेखापित एवं संशोधित।

ह0/-

अंचल अधिकारी-सह-

नीलाम पत्र पदाधिकारी,

चन्दनकियारी।

ह0/-

अंचल अधिकारी-सह-

नीलाम पत्र पदाधिकारी,

चन्दनकियारी।

ज्ञापांक 76 / चन्दनकियारी, दिनांक 17/01/25

प्रतिलिपि:- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अंचल अधिकारी-सह-
नीलाम पत्र पदाधिकारी,
चन्दनकियारी।